संख्या : 544/चौवालिस–2/90

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उद्यमों/निगमों/
नोयडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 1990

विषय :– विज्ञापन व टेण्डर डाकूमेन्ट आदि दिये जाने के सम्बन्ध में मितिव्ययता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के समाचार पत्रों में जो टेण्डर नोटिस, नीलामी सूचना एवं विज्ञापन आदि प्रकाशित कराया जाता है, उसे सावधानी बरतते हुए नहीं दिया जाता है। इनका आकार अनावश्यक रूप से बड़ा होता है और प्राःय ऐसे भी विज्ञापन देखने को मिलते हैं जो पूर्ण पृष्ठ के तो हैं किन्तु उसमें किसी प्रकार का विशिष्ट उल्लेख नहीं होता है और अधिकांश स्थान खाली रखा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रवृत्ति उचित नहीं है।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियम/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट 1956 अथवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन तथा उ० प्र० सार्वजनिक उद्यमों/निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्देश देते हैं:-

(1) टेण्डर प्रारूप में सावधानी–पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाय जिस प्रकार तार इत्यादि लिखने में किया जाता है।

(2) टेण्डर अथवा नोटिस छोटे होने चाहिए तथा स्पष्ट होने चाहिए।

(3) टेण्डर में अधिकारी का नाम और कार्यालय का पता केवल अन्त में और यथासंभव एक ही पंक्ति में रखा जाय।

(4) टेण्डर की विषयवस्तु रनिंग मैटर के रूप में रखी जाय और पंक्तियों के बीच में सामान्य दूरी से अधिक की दूरी न रखी जाय।

(5) जहां तक संभव हो, बड़े और टेबुलेशन फार्म में टेण्डर तैयार न किये जायं।

(6) टेण्डर की जांच उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पृष्ठभूमि में सम्बन्धित निगम/उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कर लिये जाने के बाद ही उसे प्रकाशनार्थ भेजा जाय।

भवदीय,
[आर० रमणी]
सचिव।

संख्या 544(1)/चौवालिस–2/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के सचिव/विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासकीय अनुभाग।
(3) सहकारिता सचिव।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1।

आज्ञा से,
[आर० एन० सिन्हा]
अनुसचिव।